

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुंन 2/18 तारीख 2018

उपनाम । — सुनीता वंनम नारायण मीना
कमालपुरा

प्राथना पत्र अस्थाधी निषेधाज्ञा


प्राथी की ओर से श्री राममेश सी गुप्ता एडवोकेट ने प्राथना पत्र अस्थाधी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 ATACT के तहत किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्राथनापत्र को रजिस्टर कर अप्राथी गण को जरिये नोटिस से तपब कर दिनांक 31-1-18 को पेश हो।

207-8
12-1-18


जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

इंसराले श्री

31/18 प्राथी वकील उपसेभर / अप्राथी गण की ओर से श्री कुंछा पडसमीनी अडवोकेट ने अपसेभरी डकी कयही आशानी पेशी पर वकालतनामा जमाव पेश करे। पतावली दि० 21-2-18 को पेश हो।


31-1-18

21-2-18 वकूलाय उपरियत/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य से कटोली पधरे है। अतः पत्रावली जमाव दिनांक 22-2-18 को पेश हो।

22-3-18 वकूलाय उप। अप्राथी गण का वकालतनामा पेश किया। जमाव पेश करने दि० 18-4-18 को पेश हो।

18-4-18 अवकाश

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
24.9.19	वकूलाय उपो/ अग्रर्थीगण का जबर पेशा किया/ श्रासि किया/ कति बरस दिनांक 21.10.19 को पेशा हो। <p style="text-align: right;">८</p>
21.10.19	वकील अभय पक्ष उपस्थित। वकील अभय पक्ष ने एक मस से कथन किया कि अभय पक्षो को मोका एवं रिाई की यथा स्थिति बनोये रखने के लिए पाबन्द करमादिना जौव। वकील अभय पक्ष की बरत पर मनन किया कि पत्रावली का अवलोकन किया। श्रासि पत्र में वर्णित श्रासि में श्रासि एवं अश्रासि लखते सा काशत का दर्ज रिाई की वकील अभय पक्षकारान की लहती होने से अभय पक्षो को गाम कमालपुर की श्रासि ख. नं. 2178/0.48, 1440/0.16, 1441/0.14, 1474/0.19, 1722/0.21, 1836/0.22, 2153/0.61, 704/0.34, 746/0.25, 2511/1.14, 2512/2770/0.12, 758/0.12, 336/0.14, 345/0.19, 745/0.06, 1055/2651/0.51, 347/0.20, 349/0.11, पर रिाई एवं मोका की यथा स्थिति बनोये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैहल शुमार हो का दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। <p style="text-align: right;">८</p>

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करोली)